RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-02
February -2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

महिला सशक्तीकरण में पंचायतीराज का योगदान

संध्या सिंह

(शोध–छात्रा) समाजशास्त्र–विभाग राजा श्री कृष्ण दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर–उ0प्र0

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 20 February 2019

Keywords
अंकेक्षण– लेखा–जोखा
दोयम–दोहरा, द्वितीय
भवितव्यता–नियति, भाग्य

ABSTRACT

सम्पूर्ण राष्ट्रीय विकास के सन्दर्भ में जिन मुख्य बिन्दुओं पर विचार– विमर्श करना अत्यन्त ही आवश्यक है उन बिन्दुओं में महिला सशत्तिकरण का विषय संभवतः महत्वपूर्ण तथ्य है यद्यपि वैदिककालीन समय के परिप्रेक्ष्य में अध्यन किया जाय तो इस समय महिलाओं की प्रस्थिति उच्च थी तथा इन्हे धार्मिक समारोहों तथा शैक्षिक व अन्य क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त था जिनमें कुछ प्रसिद्ध विदुषी महिलाएँ गार्गी, अपाला, घोसा आदि थीं।[1] किन्तु मध्यकालीन समाज में अन्य कुरीतियों का विकास हुआ जिसके कारण महिलाओं की प्रस्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती चली गयी जिसका कारण विदेशी आक्रमणकारी थे। जिनसे अपनी कन्याओ को सुरक्षित रखने के लिए पर्दा प्रथा तथा बाल विवाह जैसी कुरीतियों का विकास हुआ कम उम्र की लड़की/बाल विवाह से अन्य शारीरिक समस्याएँ उत्पन्न हुई और प्रसवावस्था के समय शरीर पूर्णरूप से परिपक्व न होने के का महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी या किसी कारण यदि बाल साथी की मृत्यु हो जाती थी तो पूरे जीवन विधवा का जीवन व्यतीत करना तथा उन्हें अन्य सामाजिक रूढ़ियों एवं कुरीतियों का सामना करना पड़ता था तथा सती प्रथा जैसी अन्य कुरीतियाँ भी महिलाओं की प्रस्थिति दयनीय कर दी थी। यद्यपि स्वातंत्रयोत्तर भारत में महिलाओं की स्थिति को सुधारने की दिशा में विविध विशेषकार 73वें संविधान संशोधन 1993 का अधिनियम मील का पत्थर सिद्ध हुआ जिसमें महिलाओं को 33% की सहभागिता प्राप्त हुई जिसका उनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस संविधान (73वें) के पश्चात से अनेक प्रयास निरन्तर हुए है। 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है।[2]

प्रस्तावना

सशक्तीकरण शब्द को मात्र लिंग संबन्धों तक सीमित रखना एक संकुचित शब्द सिद्ध होगा। सशक्तीकरण शब्द एक व्यापक शब्द है जो कि सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक, राजनीतिक आधार पर समानता की माँग पर बल देता है। यह एक विकासात्मक मुद्धा है जो स्त्री व पुरूष दोनो को समान रूप से प्रभावित करता है। मोटे तौर पर यदि इसका गहन अध्यन किया जाय तो यह हासिए पर जो समूह है (विशेषकर महिलाएँ) उनसे सम्बन्धित एक मुद्धा है जो उनके आत्मसम्मान, आत्मविश्वास एवं समान अधिकार की माँग करता है।[3]

विवेकानन्द की परिभाषा– "वह देश व राष्ट्र जिसने स्त्रियों का आदर नहीं किया कभी भी महान नही बन सका और न ही भविष्य में महान बन पाएगा"[4]

पंचायती राज्य में महिलाओं के 33% आरक्षण की व्यवस्था से महिलाओं की पंचायतीराज में भागीदारी बढ़ी है जो कि अब 42% से अधिक हो गयी है। बिहार वह पहला राज्य है जिसने पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया है। वर्तमान में महिला साक्षरता दर 66.46% हो गयी है। 110वें संविधान संशोधन ने मंजूरी दे दी है जिसके द्वारा महिलाओं को 50% आरक्षण कर दिया जायेगा। निम्न 50% आरक्षण वाले राज्य– आन्ध्र प्रदेश, असम,छत्तीसगढ़, हिमाचल, प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक आदि।[5] आँकड़ो के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। आज देश मे 2.5 लाख पंचायतों में 32 लाख प्रतिनिधि चुनकर आ रहे हैं। जिनमें 14 लाख से भी अधिक महिलाएँ चुनकर आयी हैं। जिससे यह प्रत्यक्षतः स्पष्ट होता है कि महिलाएँ राजनीतिक कार्यों में सहभागिता कर रही है।[6]

[1]महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्व विद्यालय चित्रकूट, जिला–सतना 485334 पृष्ठ संख्या 21–23
[2]www.drishtiias.com Panchayatiraj system and philosophy of Gandhi
[3]रावत सत्यम ए.पी.टी.एस. सेक्टर 3, जवाहर नगर जयपुर–302004 (इण्डिया)
[4] ए0के0 तिवारी पृष्ठ संख्या–194
[5]कुरूक्षेत्र जुलाई 2018 पंचायतो में महिलाओं की भागीदारी पृष्ठ संख्या–38
[6]कुरूक्षेत्र जुलाई 2018 पंचायतो में महिलाओं की भागीदारी पृष्ठ संख्या–37

RRIJM 2015, All Rights Reserved

साहित्य समीक्षा

इस संदर्भ मे कई अन्य शोधकार्य भी विगत वर्षों मे किये गये है जिनका विवरण कुछ इस प्रकार है।

1. **सतनाम कौर वूमन इन् रूलर डेवलपमेन्ट–ए केस स्टडी, दिल्ली मित्तल पब्लिकेशन्स, (1987)–** ग्रामीण विकास कार्यों में महिलाओं का निश्चित योगदान रहा है। महिलाओं के योगदान का लेखा–जोखा प्रस्तुत करने हेतु लेखक हरियाणा प्रदेश के तीन–2 जिलों को केन्द्र में रखकर अपने अध्यन को इतिश्री प्रदान करता है।
2. **द्वारका नाथ मितर, दी पोजीशन ऑफ वूमन इन हिन्दू लॉ, नई दिल्ली इनर इण्डिया पब्लिकेशन (1984)–** महिलाओं और कानून के सम्बन्धों पर विस्तृत एवं समग्र सूचनाओं का लेखक द्वारा किए गए अनुसंधान का प्रकाशन है।
3. **फाड़के सिन्धु वूमन स्टेटस इन नोर्थ ईस्टर्न इण्डिया, पब्लिकेशन डेमेन्ट बुक इण्डिया (2009)–** इस पुस्तक में लेखक ने उत्तर पश्चिम भारतीय महिलाओ की समाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर अपने विचार व्यक्त किए है।
4. **आशारानी बोहरा, महिलाएँ और स्वराज्य, नई दिल्ली, प्रकाशन विभाग (1988)–** पुरूष प्रधान समाज के बीच भी आवश्यकता पड़ने पर महिला ने अपने दायित्वो का पूरे दम–खम के साथ निर्वाह किया स्वराज्य के लिए महिला समाज द्वारा किए गए संघर्ष त्याग एवं महत्वपूर्ण कार्यों के योगदान का विस्तृत वर्णन करते हुए लेखिका की विशिष्ठ कृति है।
5. **सुधीर वर्मा, वूमन स्पेश फॉर पॉलिटिकल स्पेश, रावत पब्लिकेशन, जयपुर (1997)–** प्रकाशित पुस्तक में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि के लिए सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।

अध्ययन उद्देश्य

1. विकास के इस दौर में यह स्पष्टतः प्रदर्शित है कि महिला सशक्तिकरण का प्रभाव मुखरित है।
2. आज महिला भारत के विकास मे वह चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय हर जगह उनका महत्वपूर्ण योगदान है किन्तु इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी समाज मे महिला के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार है।
3. भारत में आज भी यह स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि वर्तमान समाज में कामकाजी महिलाओं के सामने घर और बाहर दोनो स्थानों पर चुनौतीपूर्ण भरा जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है।
4. आज के इस बदलते दौर में महिलाएँ घर से लेकर बाहर तक अपना चहुमुखी परचम लहरा रही है। किसी भी क्षेत्र में उनका योगदान पुरूषों से पीछे नही किन्तु फिर भी उनको समानता का दर्जा देने में लोगो को झिझक हो रही है।[7]
5. इस पुरूष प्रधान समाज मे महिला कितनी भी तरक्की कर ले किन्तु उसको पुरूष के अहम को झेलना पड़ता है यह भी अधिकांशतः देखने में आया है कि पुरूष का महिला की तरक्की में वह समानता नही दिखती जो कि एक पुरूष के विकास में महिला का योगदान होता है।
6. समग्र विकास प्रक्रियाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं/क्रियाकलापों में महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का प्रयास।
7. सार्वभौमिक एवं गुणवत्तापरक जीवन के विकास में महिलाओं को अग्रसर करने के लिए प्रयास करना।

महिला सहभागिता का प्रभाव

महिला सशक्तीकरण में क्रान्तिकारी बदलाव 1992 के बाद देखने को मिला जब 72वें, 73वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायतों एवं नगर निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित कर दी गयी इस अधिनियम द्वारा ग्रामीण महिलाओं को पहली बार महसूस हुआ कि सत्ता में वह भी सहभागी हो सकती है। बिहार भारत का ही नही विश्व का एक ऐसा प्रांत है जहाँ पंचायती राज तथा शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2006 में महिलाओं को 50% आरक्षण देकर महिला सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। बिहार जैसे राज्य में 3500 पंचायतों में 45000 से भी अधिक महिलाएँ चुनाव जीती हैं जो कि महिला सशक्तीकरण का एक अनुपम उदाहरण है।[8] महिला सशक्तीकरण की एक महत्वपूर्ण उदाहरण में राजस्थान राज्य के भटेरी गाँव की निवासी भंवरी देवी एक दलित सामाजिक कार्यकर्ती थीं जिन्होंने 1992 में ही बाल विवाह पर रोक लगाने की कोशिश की थी उन्हें उनके कार्यों के लिए नीरजा भनोट अवार्ड मिला था।[9]

[7] राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान राजेन्द्र नगर हैदराबाद 500030 पृष्ठ संख्या–25

[8] कुरूक्षेत्र जुलाई 2018 पंचायतो में महिलाओं की भागीदारी पृष्ठ संख्या–40

[9] भवंरी देवी विकीपीडिया

विश्लेषण

समाज के सर्वागीण विकास में न केवल पुरूष का बल्कि महिला का भी सशक्त होना अत्यन्त आवश्यक है जैसा कि **जे0एस0मिल0** का कथन "सम्पूर्ण मानव समाज पचास प्रतिशत स्वामी और पचास प्रतिशत दास में विभाजित रहा है।"[10] यदि यह विचारधारा समाज में व्याप्त रही तो वह समाज कभी भी अपना सर्वांगीण विकास नही कर सकता क्योंकि एक समाज के विकास मे महिला और पुरूष का समान स्थान है। नारी जिसे शक्ति का स्वरूप माना जाता है और वे पृथ्वी की तरह धैर्य धारण करने की शक्ति रखती हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता की बात की गई है।[11]

परन्तु इतने वर्षों के पश्चात भी समाज उस समानता के अधिकार को प्राप्त नहीं कर पाया है। 2001 को महिला सशक्तीकरण के रूप में मनाया गया जिसका मुख्या उद्देश्य ही यही था कि महिलाओं में जागरूकता लाना और उन्हें सशक्त बनाना आज महिलाएँ समाज के हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं किन्तु अब भी ऐसी सशक्त स्त्रियों की संख्या समाज में बहुत कम है उन्हे अभी भी अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक व सजग रहना होगा तभी एक सशक्त समाज व सशक्त देश का सपना साकार होगा क्योंकि परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि एक निरन्तर प्रयास के फलस्वरूप ही प्राप्त हो सकती है।

निष्कर्ष व परिणाम

वर्तमान युग 21वीं सदी का युग चल रहा है जिसे महिलाओं की सदी से भी सम्बोधित किया जाता है। यह युग परिवर्तन की एक आहट है। जिसमें यह देखा जा रहा है कि महिलाएँ सफलता के शिखर पर बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दे रही हैं। इस सफलता के साथ ही उनकी समाज में एक अलग ही छवि का निर्माण हो रहा है। वर्तमान युग में नारी ने अपनी सफलता का जो परिचय दिया है वह अत्यन्त ही शोभनीय है समाज के हर क्षेत्र में चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष उनका आगमन हो चुका है। समाज में कई क्षेत्र भी है जहाँ केवल महिलाओं का ही वर्चस्व दिखता है। जिस नारी को मध्यकालीन समाज में एक दण्डनीय एवं दीन–हीन की दृष्टि से देखा जाता था वह आज अपनी एक अलग ही छवि गढ़ रही है जिसमें उनके बढ़ते हुए कदमों पर कोई बेड़ियाँ नही लगा सकता यही नारी की भवितव्यता है और यह अत्यन्त सुखद भी है।

सुझाव

उपरोक्त बिन्दुओं के स्पष्टीकरण के पश्चात यह कहना कोई आश्चर्यजनक नहीं होगा कि इतने आगे बढ़ने के पश्चात भी आज भी वास्तविकता यही है कि हजारो वर्षों से समाज में यह मानसिकता थी कि महिला को पुरूष के संरक्षण की आवश्यकता होती है इसमें कोई परिवर्तन

नही हुआ है आज भी समाज मे महिला को दोयम की प्रस्थिति प्राप्त है आज भी वह उनके अधिकारों से वंचित है जिसकी वह अधिकारी हैं आज भी महिला को स्वयं को सिद्ध करने के लिए समाज में अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है उसके साथ समय–समय पर अवसर मिलने पर अत्याचार व शोषण की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दिन–प्रतिदिन समाज में महिलाओं के विरूद्ध अनेक मामले समाने आते हैं जो कि स्वयं ही इस असमानता का दर्पण सिद्ध हुए हैं। अतः इन बिन्दुओं पर सरकार को, समाज को सुधार करने व परिवर्तन लाने की अत्यन्त ही आवश्यकता है क्योंकि एक सफल राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है जब उस समाज व राष्ट्र में समानता व्याप्त हो क्योंकि एक समान अधिकार प्राप्त जनता ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकती है।

सन्दर्भ बिन्दु

1. महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्व विद्यालय चित्रकूट, जिला– सतना 485334 पृष्ठ संख्या 21–23
2. www.drishtiias.com Panchayatiraj system and philosophy of Gandhi.
3. रावत सत्यम ए.पी.टी.एस. सेक्टर 3, जवाहर नगर जयपुर–302004 (इण्डिया)
4. ए0के0 तिवारी पृष्ठ संख्या–194
5. कुरूक्षेत्र जुलाई 2018 पंचायतो में महिलाओं की भागीदारी पृष्ठ संख्या–37–40
6. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान राजेन्द्र नगर हैदराबाद 500030 पृष्ठ संख्या–20–25

[10] ए0के0 तिवारी पृष्ठ संख्या–194

[11] राष्ट्रीय ग्रामीण एवं पंचायती राज संस्थान राजेन्द्र नगर हैदराबाद 500030 (भारत) पृष्ठ संख्या–20

7. भंवरी देवी विकीपीडिया
8. सतनाम कौर वूमन इऩ रूलर डेवलपमेन्ट– ए केस स्टडी, दिल्ली मित्तल पब्लिकेशन्स, (1987)
9. द्वारका नाथ मितर, दी पोजीशन ऑफ वूमन इन हिन्दू लॉ, नई दिल्ली इनर इण्डिया पब्लिकेशन (1984)
10. फाड़के सिन्धु वूमन स्टेटस इन नोर्थ ईस्टर्न इण्डिया, पब्लिकेशन डेमेन्ट बुक इण्डिया (2009)
11. आशारानी बोहरा, महिलाएँ और स्वराज्य, नई दिल्ली, प्रकाशन विभाग (1988)
12. सुधीर वर्मा, वूमन स्पेश फॉर पॉलिटिकल स्पेश, रावत पब्लिकेशन, जयपुर (1997)

RRIJM 2015, All Rights Reserved